राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone :0141- 2711263, 2716804, 2716800 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

क्रमांकःप.III(620)रा.प्र.नि.मं./स्था./पार्ट–02 2204-2210 दिनांकः 12/09/2025

आदेश

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम, 1993 यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रिक्त पदों पर जारी सीधी भर्ती विज्ञापन संख्या प. 3(620)रा.प्र.नि.मं./स्था./सीधी भर्ती/2023–24/2464 दिनांक 05.10.2023 एवं शुद्वि पत्र क्रमांक 4466 दिनांक 01.02.2024 के क्रम में आयोजित कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की सीधी भर्ती परीक्षा,2023–24 में सफल घोषित किये गये अभ्यर्थियों के जारी अस्थाई (Provisional) परीक्षा परिणाम के क्रम में निम्नांकित अभ्यर्थियों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 20.01.2006 एवं वित्त(नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांकःप.15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी (Probationer Trainee) कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में नियत पारिश्रमिक रूपये 31,100/–(शब्दों में रूपये इक्कतीस हजार एक सौ मात्र) प्रतिमाह अथवा जो अभ्यर्थी पूर्व से नियमित राज्य सेवा में कार्यरत है, उनके सन्दर्भ में वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)एफडी/रूल्स/7 दिनांक 13.3.2006 एवं तत्पश्चात् जारी संशोधन आदेशों के अनुसार देय वेतन भत्तों पर उनके द्वारा उपस्थिति देने की संगत तिथि से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है:–

क्रमांक	रोल नम्बर	मेरिट क्रमांक	अभ्यार्थी का नाम श्री/श्रीमती/सुश्री	लिंग	जन्म तिथि	अभ्यर्थी की मूल वर्ग/श्रेणी	वर्ग जिसके विरूद्व चयन हुआ	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	1110002649	57	धर्मवीर सिंह	M	15.10.1981	BC	BC-Ex-Servicemen	क्षेत्रीय कार्यालय भिवाड़ी

उक्त नियुक्तियाँ निम्नलिखित नियम एवं शर्तो के अध्याधीन जारी की जा रही है:–

1. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/5 दिनांक 13.3.2006, प.6(6)वित्त/नियम/2005 दिनांक 13.3.2006, क्रमांक प.1(2) वित्त/नियम/2006 दिनांक 13.3.2006, प.13(1)वित्त/नियम/2003 दिनांक 13.3.2006 तथा राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतनमान) नियम,2017 दिनांक 30.10.2017 यथा संशोधित के अन्तर्गत नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) ही देय होगा। इसके अतिरिक्त अन्य भत्ते देय नहीं होंगे। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. 25565/2015, राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा। परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को कार्यग्रहण करने से पूर्व नियत वेतन (Fixed Remuneration) पर कार्य करने की सहमति लिखित रूप से संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
2. परिवीक्षा काल (Probationer Period) में इन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्वि देय नहीं होगी।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone :0141- 2711263, 2716804, 2716800 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

3. परिवीक्षा काल में अन्य सुविधा या अवकाश आदि राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल सेवा नियमों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेश / निर्देशों के अनुसार देय होंगे।
4. नवनियुक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों पर परिवीक्षा काल के सफलतापूर्वक पूर्ण होने के पश्चात् राज्य सरकार / राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल के नियमों एवं समय–समय पर जारी आदेशों के अनुरूप देय सेवा लाभ लागू होंगे।
5. उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्तियाँ उनके चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक पाये जाने के अध्याधीन होगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त माने जावेंगे।
6. उक्त अभ्यर्थियों की जन्म तारीख वही मानी जावेगी जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की थी और जिन्हें सम्यक सत्यापन के बाद स्वीकार किया गया है।
7. अभ्यर्थी को दो वर्ष के परिवीक्षा कालावधि में दिया गया कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण करने एवं कार्य सन्तोषजनक पाये जाने पर ही नियमानुसार वेतन एवं अन्य भत्ते देय होंगे।
8. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी आधार पर है, परन्तु दो वर्ष के परिवीक्षा काल सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद मण्डल द्वारा इन्हें स्थायीकरण के लिए उपयुक्त समझे जाने की दशा में इनको राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम,1993 यथा संशोधित नियमों के अन्तर्गत स्थायीकरण किया जा सकेगा।
9. उक्त अभ्यार्थियों की नियुक्ति राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल कर्मचारी सेवा नियम एवं विनियम,1993 यथा संशोधित नियमों / उपबन्धों और अपेक्षाओं से संबंधित सेवा नियम एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अध्याधीन है।
10. यदि किसी अभ्यर्थी का कार्य परिवीक्षाकाल में असंतोषजनक पाया गया या ऐसा प्रतीत हुआ कि वह मण्डल के कार्य को संतोषप्रद नहीं कर सकता है तो राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा उसकी सेवा समाप्त (Terminate) कर दी जाएगी।
11. सेवा ग्रहण करने हेतु कोई भी यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
12. उक्त अभ्यर्थियों में से यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित तिथि पर अपनी उपस्थिति नहीं दर्शाता है अथवा मण्डल की लिखित अनुमति के पश्चात् भी निर्धारित समयावधि में अपनी उपस्थिति रिपोर्ट नहीं देता है और न ही किसी प्रकार की सूचना प्रेषित करता है तो उसके नियुक्ति आदेश को स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।
13. जो अभ्यर्थी पूर्व से ही अन्य नियमित राजकीय सेवा में कार्यरत है, उन्हें राज्य सरकार के नियमानुसार ही वेतन भत्ते देय होंगे, परंतु पदस्थापन पर कार्यग्रहण के समय पूर्व नियोक्ता के द्वारा उचित माध्यम (Through Proper Channel) से कार्यमुक्त किये जाने के आदेश, अनापत्ति प्रमाण–पत्र एवं गत भुगतान प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस संबंध में अंतिम निर्णय मण्डल स्तर पर अध्याधीन रहेगा।
14. अभ्यर्थी को कार्य ग्रहण करने से पूर्व 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि इनके द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाएं एवं संलग्न किये गये प्रमाण पत्र सत्य / सही है। प्रस्तुत दस्तावेजों में से कोई दस्तावेज / सूचना असत्य / फर्जी / गलत पाये जाने पर, अथवा विपरीत तथ्य पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone :0141- 2711263, 2716804, 2716800 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

15. उक्त नियुक्ति राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल/राजस्थान सरकार द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों/नियम/परिपत्रों के अध्याधीन होगी एवं समय–समय पर जारी किये गये निर्देश/नियम/परिपत्र भी लागू होंगे।
16. कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 15.05.2018 में अंकित निर्देशों की पालना में नियुक्ति आदेश पुलिस सत्यापन ना होने की स्थिति में पूर्णतः प्रोविजनल जारी किये जाते है। उक्त नियुक्ति आदेश पुलिस विभाग द्वारा जारी होने वाली सत्यापन रिपोर्ट के अध्याधीन रहेंगे। यदि किसी अभ्यर्थी के पुलिस चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत अभ्युक्ति होती है, तो संबंधित अभ्यर्थी का नियुक्ति आदेश निरस्त माना जा कर नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। अभ्यर्थी द्वारा कार्यालय में पद ग्रहण हेतु दी जाने वाली उपस्थिति के समय उपस्थिति रिपोर्ट के साथ पुलिस द्वारा निर्धारित प्रारूप में चरित्र सत्यापन प्रमाण–पत्र अपेक्षित रहेगा। चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने तक ये नियुक्तियां प्रोविजनल रहेंगी।
17. नियुक्ति के पश्चात् भी किसी बोर्ड/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय की विधि सम्मत मान्यता नहीं होने की स्थिति में अथवा उसके द्वारा जारी योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र में शैक्षणिक/तकनीकी खामियाँ पाये जाने पर सेवायें समाप्त कर दी जावेगी।
18. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को कार्मिक (क–2) विभाग के परिपत्र दिनांक 15.05.2018 के संदर्भ में शपथ–पत्र के रूप में "Self declaration" प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी की नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। इसके साथ ही ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी अमल में लाई जावेगी।
19. उक्त नियुक्ति शारीरिक दक्षता के अध्याधीन होगी। चिकित्सकीय शारीरिक दक्षता नहीं पाए जाने पर नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी के नियुक्ति आदेश बिना सूचना के निरस्त कर दिये जावेंगे।
20. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल को उक्त आदेश में राज्य सरकार अथवा राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल के प्रभावी सेवा नियमों/आदेशों/परिपत्रों की पालना सुनिश्चित करने या मानवीय भूल रहने के कारण संशोधन/त्रुटि सुधार करने का पूर्ण अधिकार होगा।
21. अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर कॉलम नंबर 9 में अभ्यर्थी के नाम के सम्मुख अंकित कार्यालय में दिनांक 26.09.2025 तक कार्यालय समय में अपनी उपस्थिति दर्शानी होगी एवं उपस्थिति रिपोर्ट के साथ शपथ पत्र एवं निम्नानुसार दस्तावेज प्रस्तुत करने होगें अन्यथा निर्धारित अवधि या कार्यग्रहण हेतु अनुमत विस्तार अवधि में उपस्थिति प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थी का उक्त नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिया जाएगा–
    (i) विवाहित अभ्यर्थियों को विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र।
    (ii) पुलिस सत्यापन रिपोर्ट, चरित्र प्रमाण पत्र मूल।
    (iii) राजपत्रित अधिकारियों के अलग–अलग दो चरित्र प्रमाण पत्र मूल।
    (iv) मुख्य चिकित्सा अधिकारी या इसके समकक्ष/उच्च राजकीय चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मूल स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।
    (v) वांछित शैक्षणिक योग्यताओं से संबंधित उपाधि/डिग्री/अंकतालिकाओं के वास्तविक (Genuine) होने का शपथ पत्र।

राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल
RAJASTHAN STATE POLLUTION CONTROL BOARD
Headquarter, 4, Institutional Area, Jhalana Doongri, Jaipur-302004
Phone :0141- 2711263, 2716804, 2716800 e-mail : member-secretary@rpcb.nic.in

(vi) पुलिस सत्यापन में विपरीत अभ्युक्ति पाये जाने के संबंध में शपथ–पत्र।
(vii) राजकीय सेवा में कार्यरत कार्मिकों हेतु संबंधित विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल अनापत्ति प्रमाण पत्र व कार्यमुक्ति आदेश।
(viii) तलाकशुदा/विधवा महिलाओं से पुनर्विवाहित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र।

(शारदा प्रताप सिंह)
सदस्य सचिव

क्रमांकःप.III(620)रा.प्र.नि.मं./स्था./पार्ट–02 **दिनांकः**

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

i. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर।
ii. अतिरिक्त निजी सचिव, सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर।
iii. वित्तीय सलाहकार, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर।
iv. क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, भिवाड़ी राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल को निर्देशित किया जाता है कि परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों के कार्य ग्रहण के दौरान मूल दस्तावेजों की जाँच करें एवं आवश्यक प्रमाण पत्रों के प्राप्त होने पर कार्य ग्रहण कराने का श्रम करें। इन परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थियों के कार्य ग्रहण करने की सूचना मण्डल मुख्यालय की स्थापना शाखा को दिनांक 26.09.2025 तक प्रेषित करना सुनिश्चित करें।
v. आहरण एवं वितरण अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियन्त्रण मण्डल, जयपुर।
vi. श्री/श्रीमती ....
vii. कार्यालय प्रति/व्यक्तिगत पत्रावली।

सदस्य सचिव